

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	माघ 28, मंगलवार, १९४७- फरवरी 17, 2026 Magha 28, Tuesday, Saka 1947- February 17, 2026	

भाग-3(क)

राजस्थान विधान सभा में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत

करने से पूर्व प्रकाशित किये गये विधेयक।

राजस्थान विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

जयपुर, 16 फरवरी, 2026

संख्या एफ. 13(04)विशा/विस/2026/ :-राजस्थान जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2026 जैसा कि दिनांक 16 फरवरी, 2026 को राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया गया, सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

भारत भूषण शर्मा,

प्रमुख सचिव।

2026 का विधेयक सं. 4

राजस्थान जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2026

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया गया)

जीविका और कारबार करने की सुगमता के लिए विश्वसनीयता आधारित शासन की और वृद्धि करने के लिए और अपराधों का गैर अपराधीकरण तथा सुव्यवस्थीकरण करने हेतु कतिपय अधिनियमितियों को संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2026 है।

(2) यह 7 जनवरी, 2026 को और से प्रवृत्त समझा जायेगा।

2. कतिपय अधिनियमितियों का संशोधन.- अनुसूची के स्तंभ (4) में उल्लिखित अधिनियमितियों का एतद्द्वारा उस सीमा तक और उस रीति से, जो उसके स्तंभ (5) में उल्लिखित हैं, संशोधन किया जाता है।

3. व्यावृत्तियां.- इस अधिनियम द्वारा किसी अधिनियमिति का संशोधन या निरसन ऐसी किसी अन्य अधिनियमिति को प्रभावित नहीं करेगा जिसमें संशोधित या निरसित अधिनियमिति लागू, सम्मिलित या निर्दिष्ट की गयी है;

और यह अधिनियम पहले से ही की गयी या भुगत गयी किसी बात की विधिमान्यता, अविधिमान्यता, उसके प्रभाव या परिणामों या पहले ही अर्जित, उद्भूत या उपगत किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व, या उसके संबंध में किसी उपचार या कार्यवाही, या किसी ऋण, शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावे या मांग से किसी निर्मुक्ति या उसके उन्मोचन या पहले से ही अनुदत्त की गई किसी क्षतिपूर्ति, या किसी पूर्व कृत्य या बात के सबूत को प्रभावित नहीं करेगा;

न ही यह अधिनियम विधि के किसी सिद्धांत या नियम या स्थापित अधिकारिता, प्ररूप या अभिवचन, पद्धति या प्रक्रिया के अनुक्रम या विद्यमान रूढि, प्रथा, विशेषाधिकार, निर्बंधन, छूट, पद या नियुक्ति, को इस बात के होते हुए भी प्रभावित नहीं करेगा कि वे इसके द्वारा संशोधित या निरसित किसी अधिनियमिति के द्वारा, उसमें या उससे किसी भी रीति से क्रमशः अभिपुष्ट या मान्य या व्युत्पन्न हुए हैं;

न ही इस अधिनियम द्वारा किसी अधिनियमिति का संशोधन या निरसन किसी भी अधिकारिता, पद, रूढि, दायित्व, अधिकार हक, विशेषाधिकार, निर्बंधन, छूट, प्रथा, पद्धति, प्रक्रिया या अन्य मामले या बात, जो अब विद्यमान नहीं है या प्रवृत्त नहीं है, को पुनरुज्जीवित या प्रत्यावर्तित नहीं करेगा।

4. निरसन और व्यावृत्तियां.- (1) राजस्थान जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अध्यादेश, 2025 (2025 का अध्यादेश सं. 2) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गयी समस्त बातें, की गयी कार्रवाइयां या किये गये आदेश इस अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

अनुसूची (धारा 2 देखिए)

क्र. सं.	वर्ष	अधिनियम सं.	संक्षिप्त नाम	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	1953	13	राजस्थान वन अधिनियम, 1953	(1) धारा 2 के खण्ड (3) में, विद्यमान अभिव्यक्ति “अधीन दण्डनीय” के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति “कोई अपराध” से पूर्व अभिव्यक्ति “या शास्ति के लिए दायी” अंतःस्थापित की जायेगी। (2) धारा 26 में,- (i) उप-धारा (1) के विद्यमान खण्ड (क) और (ख) हटाये जायेंगे; (ii) विद्यमान उप-धारा (1-क) के पश्चात्,

				निम्नलिखित नयी उप-धारा अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:- “(1-ख) जो कोई व्यक्ति किसी आरक्षित वन में,- (क) अतिचार करेगा या पशु चराएगा या पशुओं को अतिचार करने की अनुज्ञा देगा, वह वन को हुए नुकसान के लिए, धारा 68 के अधीन सशक्त वन अधिकारी द्वारा यथा अवधारित ऐसे प्रतिकर के अतिरिक्त, शास्ति का दायी होगा, जो पांच सौ रुपये तक की हो सकेगी; (ख) किसी वृक्ष को गिराये जाने, या काटे जाने या किसी इमारती लकड़ी को खींचे जाने में उपेक्षा द्वारा कोई नुकसान कारित करेगा, वह वन को हुए नुकसान के लिए, धारा 68 के अधीन सशक्त वन-अधिकारी द्वारा यथा अवधारित ऐसे प्रतिकर के अतिरिक्त, शास्ति के लिए, जो पांच हजार रुपये तक की हो सकेगी, दायी होगा।”। (3) धारा 33 में,- (i) उप-धारा (1) में विद्यमान खण्ड (ख) और (ग) हटाये जायेंगे; (ii) उप-धारा (1-क) का विद्यमान खण्ड (घ) हटाया जायेगा; (iii) विद्यमान उप-धारा (1-क) के पश्चात्, निम्नलिखित नयी उप-धारा अन्तःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:- “(1-ख) जो कोई व्यक्ति किसी संरक्षित वन में,- (क) धारा 30 के अधीन आरक्षित किसी वृक्ष चाहे वह खड़ा हो, गिर गया हो या गिराया गया हो या किसी संरक्षित वन का बन्द प्रभाग हो, के सामीप्य में अपने द्वारा जलाई गई किसी आग को जलता छोड़ देगा, वह वन को नुकसान पहुंचाने के लिए धारा 68 के अधीन सशक्त वन-अधिकारी द्वारा यथा अवधारित ऐसे प्रतिकर के अतिरिक्त, शास्ति के लिए, दायी होगा, जो पच्चीस हजार रुपये तक की हो सकेगी; (ख) किसी वृक्ष को इस प्रकार गिरायेगा या किसी इमारती लकड़ी को इस प्रकार खींचेगा कि
--	--	--	--	---

				यथापूर्वोक्त रूप में आरक्षित किसी वृक्ष को नुकसान पहुंचाने के लिए धारा 68 के अधीन सशक्त वन अधिकारी द्वारा अवधारित ऐसे प्रतिकर के अतिरिक्त, शास्ति के लिए, दायी होगा, जो पांच हजार रुपये तक की हो सकेगी।”। (4) धारा 52 की उप-धारा (2) के परन्तुक के अन्त में आये विद्यमान विराम चिह्न “।” के स्थान पर विराम चिह्न “:” प्रतिस्थापित किया जायेगा और इस प्रकार संशोधित उप-धारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:- “परन्तु यह कि ऐसा वन विषयक अपराध, जिसके बाबत उप-धारा (1) के अधीन अभिग्रहण किया गया है, अधिनियम की धारा 68 के अधीन शमनीय हो सकेगा, यदि अभिलेख पर यह स्थापित कर दिया जाता है कि अपराध कारित करने वाला (वाले) व्यक्ति और उप-धारा (1) के अधीन अभिगृहीत मशीनरी, आयुध, औजार, नाव, पशु, यानों, रस्सियों, चैन या कोई अन्य वस्तु और कोई व्यक्ति जो ऐसी अभिगृहीत सम्पति में कोई हित रखता है, इस अपराध से पूर्व इस अधिनियम के अधीन किसी वन विषयक अपराध के कारित किये जाने में अन्तर्वलित नहीं रहा है।”। (5) धारा 68 में, - (i) विद्यमान शीर्षक को निम्नलिखित शीर्षक द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:- “68. अपराधों का शमन और शास्ति अधिरोपित करने की शक्ति.-”; (ii) उप-धारा (1) के विद्यमान खण्ड (क) में आये शब्द “और” के स्थान पर शब्द “या” प्रतिस्थापित किया जायेगा; (iii) इस प्रकार संशोधित उप-धारा (1) के खण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:- “(कक) किसी व्यक्ति से, धारा 26 की उप-धारा (1-ख) या धारा 33 की उप-धारा (1-ख) के अतिक्रमण के लिए शास्ति या प्रतिकर
--	--	--	--	--

				के रूप में कोई धनराशि प्रतिगृहीत करे, और”। (6) विद्यमान धारा 87 हटायी जायेगी।
2.	195 5	3	राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955	विद्यमान धारा 86 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:- “86. विधिविरुद्ध हटाये जाने पर शास्तियां.- जो कोई धारा 83 या धारा 84 के समस्त उपबंधों या उनमें से किन्हीं उपबंधों का या तद्धीन अनुदत्त किसी अनुज्ञप्ति के निबन्धनों, शर्तों या निर्बंधनों में से किसी का उल्लंघन करता है तो वह ऐसी शास्ति का दायी होगा जो सहायक कलक्टर द्वारा, उसको आवेदन या रिपोर्ट किये जाने पर, अधिरोपित की जा सकेगी- (क) प्रथम उल्लंघन की दशा में: (i) जहां कोई वृक्ष हटाया गया है तो हटाये गये प्रत्येक वृक्ष के लिए ऐसी शास्ति जो एक हजार रुपये तक की हो सकेगी; और (ii) अन्य दशा में, ऐसी शास्ति जो एक हजार रुपये तक की हो सकेगी; और (ख) द्वितीय या पश्चात्पूर्वी उल्लंघन की दशा में, ऐसी शास्ति से जो खण्ड (क) के अधीन अधिरोपित की जाने वाली शास्ति की रकम की दोगुनी हो सकेगी; और कोई वृक्ष या उसका काष्ठ जिसकी बाबत ऐसा उल्लंघन कारित किया गया है, राज्य सरकार को समपहृत किया जा सकेगा।”।
3.	195 6	26	राजस्थान नौचालन विनियमन अधिनियम, 1956	(1) धारा 10 में, विद्यमान शब्द, “यदि” के स्थान पर अभिव्यक्ति “यदि यह पाया जाता है कि” और विद्यमान अभिव्यक्ति “का दोषी रहा है” के स्थान पर अभिव्यक्ति “के लिए कभी भी धारा 14 के अधीन दण्डित किया गया है” प्रतिस्थापित की जायेगी। (2) धारा 12 की उप-धारा (1) के खण्ड (च) के अन्त में आये विद्यमान चिह्न “।” के स्थान पर शब्द “; या” प्रतिस्थापित किये जायेंगे और इस प्रकार संशोधित खण्ड (च) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:- “(छ) धारा 14 के अधीन किसी शास्ति का अधिरोपण या धारा 14क के अधीन उल्लंघन का

				शमन करना।”। (3) विद्यमान धारा 14 के स्थान के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:- “14. शास्ति.- (1) जो कोई भी इस अधिनियम के किन्हीं भी उपबंधों का उल्लंघन करता है या दुष्प्रेरण करता है या प्रयत्न करता है, या तत्समय प्रवृत्त धारा 13 के अधीन जारी की गई किसी भी अधिसूचना के उपबंधों के प्रतिकूल कोई भाड़ा प्रभारित करता है, तो वह शास्ति, जो पचास हजार रुपये तक की हो सकेगी, के संदाय का दायी होगा, जो नियमों में विहित प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित की जाये। (2) उप-धारा (1) के अधीन अधिरोपित शास्ति भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूलीय होगी।” (4) इस प्रकार संशोधित धारा 14 के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:- “14क. उल्लंघनों का शमन करना.- (1) प्राधिकारी, या तो कार्यवाहियों के संस्थित किये जाने से पूर्व या उनके पश्चात् अधिरोपणीय शास्ति की अधिकतम रकम से अनधिक ऐसी राशि, जो विहित की जाये, के संदाय पर इस धारा के अधीन किसी उल्लंघन का शमन कर सकेगा। (2) शास्ति अधिरोपित करने और उल्लंघन का शमन करने की रीति ऐसी होगी जैसी कि विहित की जाये।”। (5) धारा 16 की उप-धारा (2) में,- (i) खण्ड (ख) के अन्त में आया विद्यमान शब्द “और” हटाया जायेगा; (ii) खण्ड (ग) के अन्त में आये विद्यमान विराम चिह्न “।” के स्थान पर विराम चिह्न “;” प्रतिस्थापित किया जायेगा और इस प्रकार संशोधित खण्ड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित नये खण्ड अन्तःस्थापित किये जायेंगे, अर्थात्:-
--	--	--	--	--

				“(घ) प्रशासनिक शास्तियां अधिरोपित करने या उल्लंघनों का शमन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी; (ड) शमन के लिए प्रक्रिया और संदेय रकम; और (च) उल्लंघनों का वर्गीकरण और उन पर लागू शास्तियों का मापमान।”।
4.	195 8	48	राजस्थान भाण्डागार अधिनियम, 1958	(1) धारा 29 की उप-धारा (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति “किन्हीं भी आदेशों” के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति “के विरुद्ध” से पूर्व अभिव्यक्ति “या धारा 32 के अधीन पारित शास्ति अधिरोपित करने वाले किसी आदेश” अन्तःस्थापित की जायेगी। (2) विद्यमान धारा 32 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:- “32. शास्ति और प्रक्रिया.- (1) जो कोई भी- (क) इस अधिनियम के अधीन कोई अनुज्ञप्ति प्राप्त किये बिना ही किसी अनुज्ञप्ति प्राप्त भाण्डागारिक के रूप में कार्य करता है या उक्त रूप में अपने आपको धारित करता है; या (ख) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों या अपेक्षाओं में से किसी का भी जानबूझकर उल्लंघन करता है या पालन करने में विफल रहता है, तो वह शास्ति का दायी होगा जो पचास हजार रुपये तक हो सकेगी जो विहित प्राधिकारी द्वारा सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किये जाने के पश्चात् अधिरोपित की जा सकेगी। (2) जहां उप-धारा (1) के अधीन कोई उल्लंघन किसी कम्पनी या संगम या व्यक्तियों के किसी निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं, द्वारा किया जाता है, वहां उसके कारबार के संचालन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति शास्ति के लिए दायी समझा जायेगा जब तक कि ऐसा व्यक्ति यह साबित नहीं कर देता है कि वह अपराध उसकी जानकारी के बिना या सम्यक् तत्परता के बावजूद कारित किया गया था।”।
5.	196 1	25	राजस्थान राज्य सहायता	(1) धारा 6 की विद्यमान उप-धारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

			(उद्योग) अधिनियम, 1961	“(4) यदि कोई व्यक्ति- (क) उप-धारा (1) के अधीन जारी किसी आदेश का, पालन करने में, पर्याप्त कारण के बिना विफल रहता है; या (ख) उप-धारा (3) के उल्लंघन में कोई सूचना जानबूझकर प्रकट करता है या प्रकट किया जाना अनुज्ञात करता है, तो वह धनीय शास्ति का दायी होगा, जो पचास हजार रुपये तक की हो सकेगी, जो राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा अधिरोपित की जाये: परन्तु ऐसी कोई भी शास्ति संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किये बिना अधिरोपित नहीं की जायेगी।”। (2) विद्यमान धारा 8 के पश्चात्, निम्नलिखित नयी धारा 9 जोड़ी जायेगी, अर्थात्:- “9. अधिनियम का किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होना.- इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके अल्पीकरण में।”।
6.	196 2	12	राजस्थान विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1962	(1) धारा 9 में, - (i) उप-धारा (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति “किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष सिद्धदोष ठहराये जाने पर दौ सौ रुपये तक के जुर्माने से दण्डनीय” के स्थान पर अभिव्यक्ति “पाँच सौ रुपये से अनधिक की शास्ति का दायी” प्रतिस्थापित की जायेगी; (ii) उप-धारा (1) में, विद्यमान परन्तुक हटाया जायेगा; (iii) उप-धारा (2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति “किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष दोषसिद्धि होने पर 1000/- रुपये से अनधिक जुर्माने से दण्डनीय” के स्थान पर अभिव्यक्ति “दो हजार रुपये से अनधिक की शास्ति का दायी” प्रतिस्थापित की जायेगी; (iv) उप-धारा (2) में विद्यमान परन्तुक हटाया जायेगा;

				(v) इस प्रकार संशोधित उप-धारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उप-धाराएं जोड़ी जायेंगी, अर्थात्:- “(3) जहां उप-धारा (1) और (2) में यथा विनिर्दिष्ट कोई उल्लंघन किसी कम्पनी द्वारा कारित किया जाता है, वहां प्रत्येक अधिकारी जो ऐसा उल्लंघन किये जाने के समय, कम्पनी का प्रभारी था और कम्पनी के कारबार के संचालन के लिए उत्तरदायी था, साथ ही कम्पनी भी ऐसे उल्लंघन कारित करने के लिए उत्तरदायी समझी जायेगी और अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने और तदनुसार दण्डित किये जाने की दायी होगी: परन्तु इस उप-धारा में अन्तर्विष्ट कोई भी बात ऐसे किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के उपबंधों में दण्डनीय नहीं बनायेगी यदि वह यह साबित कर देता है कि ऐसा उल्लंघन उसकी जानकारी के बिना कारित किया गया या यह कि उसने ऐसे अपराध के कारित किये जाने को निवारित करने के लिए सम्यक् तत्परता बरती थी। (4) उप-धारा (3) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां उप-धारा (1) और (2) में विनिर्दिष्ट कोई उल्लंघन किसी कम्पनी द्वारा कारित किया गया है और यह साबित हो जाता है कि उल्लंघन कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या, मौनानुकूलता से या उसकी उपेक्षा के फलस्वरूप किया गया माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस उल्लंघन का उत्तरदायी समझा जायेगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने और दण्डित किये जाने का दायी होगा। स्पष्टीकरण.- उप-धारा (3) और (4) के प्रयोजनार्थ,- (क) “कम्पनी” से कोई निगमित निकाय
--	--	--	--	--

				अभिप्रेत है और उसमें कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य कोई संगम सम्मिलित है, और (ख) किसी फर्म के संबंध में “निदेशक” से फर्म का कोई भागीदार अभिप्रेत है। (5) इस धारा के अधीन शास्ति, आयुक्त या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अधिरोपित की जा सकेगी। (6) इस धारा के अधीन कोई शास्ति, तब तक अधिरोपित नहीं की जायेगी जब तक संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं कर दिया गया हो।”। (2) विद्यमान धारा 9क हटायी जायेगी।
7.	196 4	1	राजस्थान साहूकार अधिनियम, 1963	(1) विद्यमान धारा 40 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:- “40. धारा 5, धारा 22 की उप-धारा (1), (2), (3), धारा 23, 30 और 37 के उल्लंघन के लिए शास्ति.- जो कोई भी धारा 5, धारा 22 की उप-धारा (1), (2), (3), धारा 23, 30 और 37 में अंतर्विष्ट किसी भी उपबंध का अनुपालन करने में विफल रहता है या उसका उल्लंघन करते हुए कोई कार्य करता है, तो वह- (क) प्रथम उल्लंघन के लिए, ऐसे नियमों के अध्यक्षीन रहते हुए, जो विहित किए जायें ऐसी शास्ति, जो पच्चीस हजार रुपये तक की हो सकेगी, (ख) द्वितीय या पश्चात्तर्वर्ती उल्लंघन के लिए, ऐसे नियमों के अध्यक्षीन रहते हुए, जो विहित किये जायें ऐसी शास्ति से जो पचास हजार रुपये तक की हो सकेगी, का दायी होगा।” (2) विद्यमान धारा 42 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:- “42. कतिपय अपराधों का संज्ञान.- इस अधिनियम के अधीन किसी भी अपराध का संज्ञान कोई भी न्यायालय, रजिस्ट्रार द्वारा की

				गई शिकायत के बिना नहीं करेगा।”। (3) धारा 43 में,- (i) उप-धारा (1) की सारणी के विद्यमान द्वितीय स्तंभ में, जहां कहीं भी आये, अंक “40” को, हटाया जायेगा; (ii) विद्यमान उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:- “(2) रजिस्ट्रार, धारा 22 की उप-धारा (4) या उप-धारा (5), धारा 29, धारा 38 और धारा 39 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए कार्यवाही संस्थित किये जाने से पूर्व या उसके पश्चात् ऐसे किसी भी व्यक्ति से, जिस पर उक्त अपराध करने का आरोप लगाया गया है, अपराध के शमन के रूप में स्वीकार कर सकेगा।”।
8.	199 2	19	राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989	विद्यमान धारा 34 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:- “34. सचिव के कर्तव्यों के निर्वहन में विफलता के लिए शास्ति.- (1) जहां कोई व्यक्ति, धारा 9 की उप-धारा (3) या धारा 12 के उपबंधों के अनुपालन में विफल रहता है या, जहां ऐसी विफलता किसी संगम द्वारा की जाती है वहां, ऐसी विफलता के लिए उत्तरदायी प्रबंध समिति का प्रत्येक सदस्य, ऐसा व्यक्ति, ऐसी प्रशासनिक शास्ति, जो दो लाख रुपए तक की हो सकेगी, का संदाय करने का दायी होगा: परन्तु प्रबंध समिति का ऐसा सदस्य जिसने इसमें भाग नहीं लिया हो या जो ऐसे निर्णय से सहमत न हुआ हो, इस धारा के अधीन किसी शास्ति का दायी नहीं होगा। (2) इस धारा के अधीन शास्तियां सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसे व्यक्ति या संगम को सुनवाई का युक्तिगत अवसर प्रदान करने के पश्चात् अधिरोपित की जायेंगी।
9.	199 8	14	राजस्थान स्टाम्प	(1) अध्याय 7 का विद्यमान नाम “दाण्डिक अपराध और प्रक्रिया” के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित

		अधिनियम, 1998	किया जायेगा, अर्थात्:- “शास्ति, दण्डिक अपराध और प्रक्रिया”। (2) धारा 73 में,- (i) उप-धारा (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति “ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा”, के स्थान पर अभिव्यक्ति “ऐसे प्रत्येक अतिक्रमण के लिए ऐसी शास्ति, जो पांच हजार रुपए तक की हो सकेगी, का दायी होगा” प्रतिस्थापित की जायेगी; (ii) उप-धारा (2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति “जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।” के स्थान पर अभिव्यक्ति “ऐसी शास्ति, जो पांच हजार रुपये तक की हो सकेगी, का दायी होगा।” प्रतिस्थापित की जायेगी। (3) धारा 74 में, विद्यमान अभिव्यक्ति “जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित होगा।” के स्थान पर अभिव्यक्ति “ऐसी शास्ति, जो एक हजार रुपये तक की हो सकेगी, के लिए दायी होगा।” प्रतिस्थापित की जायेगी। (4) धारा 78 में, विद्यमान अभिव्यक्ति “जुर्माने से, जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।” के स्थान पर अभिव्यक्ति “ऐसी शास्ति, जो दो हजार रुपये तक की हो सकेगी, के लिए दायी होगा।” प्रतिस्थापित की जायेगी। (5) धारा 79 में, विद्यमान अभिव्यक्ति “जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा” के स्थान पर अभिव्यक्ति “ऐसी शास्ति, जो एक हजार रुपये तक की हो सकेगी, के लिए दायी होगा” प्रतिस्थापित की जायेगी। (6) विद्यमान धारा 81 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:- “81. धारा 85 के उपबंधों के भंग के लिए शास्ति.- जो कोई व्यक्ति धारा 85 के उपबंधों का भंग करता है, वह ऐसी शास्ति के लिए, जो
--	--	------------------	--

				निम्नानुसार है, - (i) प्रथम भंग के लिए ऐसी शास्ति, जो पांच सौ रुपये तक की हो सकेगी; (ii) द्वितीय भंग के लिए ऐसी शास्ति, जो एक हजार रुपये तक की हो सकेगी, किन्तु जो दो सौ रुपये से कम की नहीं होगी; और (iii) तृतीय और पश्चात्तर्वर्ती भंग के लिए ऐसी शास्ति, जो दो हजार रुपये तक की हो सकेगी, के लिए दायी होगा।”। (7) धारा 82 में, विद्यमान अभिव्यक्ति “ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।” के स्थान पर अभिव्यक्ति “ऐसी शास्ति, जो पांच हजार रुपये तक की हो सकेगी, के लिए दायी होगा।” प्रतिस्थापित की जायेगी। (8) धारा 83 में, - (i) विद्यमान शीर्षक “83. अभियोजनों का संस्थित किया जाना और संचालन.-” के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:- “83. शास्ति का अधिरोपण, अभियोजनों का संस्थित किया जाना और संचालन.-”; (ii) विद्यमान उप-धारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उप-धारा (4) जोड़ी जायेगी, अर्थात्:- “(4) अध्याय 7 के अधीन कोई भी शास्ति ऐसे अधिकारी द्वारा, जो कलक्टर की रैंक से नीचे का न हो, अधिरोपित नहीं की जायेगी।”। (9) धारा 87 की उप-धारा (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति “उसके भंग के लिए उपगत होने वाले जुर्माने विहित कर सकेगी, जो किसी भी मामले में, पांच हजार रुपये से अधिक नहीं होंगे।”, के स्थान पर अभिव्यक्ति “इस अधिनियम में अन्यथा
--	--	--	--	--

				उपबंधित के सिवाय, उसके भंग के लिए उपगत होने वाले जुर्माने या शास्ति विहित कर सकेगी, जो किसी भी दशा में, पांच हजार रुपये से अधिक की नहीं होगी," प्रतिस्थापित की जायेगी।
10.	200 9	18	राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009	(1) धारा 126 की उप-धारा (2) में विद्यमान अभिव्यक्ति, "दोषसिद्धि पर ऐसे जुर्माने का दायी होगा, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा।", के स्थान पर अभिव्यक्ति, "ऐसी शास्ति का दायी होगा, जो एक हजार रुपये तक की हो सकेगी।" प्रतिस्थापित की जायेगी। (2) धारा 169 में,- (i) उप-धारा (2) में विद्यमान अभिव्यक्ति, "दोषसिद्धि पर ऐसे जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, और अननुपालन जारी रहने पर, नोटिस की तामील की तारीख के पश्चात् प्रत्येक दिवस के लिए, जिसमें ऐसा अननुपालन जारी रहा है या रहता है, ऐसे और जुर्माने से जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।", के स्थान पर अभिव्यक्ति, "ऐसी शास्ति, जो पांच हजार रुपये तक की हो सकेगी और अननुपालन जारी रहने पर, नोटिस की तामील की तारीख के पश्चात् प्रत्येक दिवस के लिए, जिसमें ऐसा अननुपालन जारी रहा है या रहता है, ऐसी और शास्ति, जो पांच सौ रुपये तक की हो सकेगी, का दायी होगा।" प्रतिस्थापित की जायेगी। (ii) उप-धारा (4) में विद्यमान अभिव्यक्ति, "दोषसिद्धि पर, ऐसे जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, और अपराध के जारी रहने पर ऐसे और जुर्माने से, जो प्रथम बार के अपराध के लिए दोषसिद्धि के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिवस के लिए, जिसमें ऐसा अपराध जारी रहता है, दो सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होंगे।", के स्थान पर अभिव्यक्ति, "ऐसी शास्ति, जो पांच हजार रुपये तक की हो सकेगी, और ऐसा कृत्य जारी रहने की दशा में,

				ऐसी और शास्ति, जो ऐसे प्रत्येक दिवस के लिए, जिसमें ऐसा कृत्य जारी रहता है, दो सौ रुपये तक की हो सकेगी, का दायी होगा।” प्रतिस्थापित की जायेगी। (3) धारा 171 की उप-धारा (5) में विद्यमान अभिव्यक्ति, “दोषसिद्धि पर, ऐसे जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, और अननुपालन जारी रहने पर, नोटिस की तामील की तारीख के पश्चात् प्रत्येक दिवस के लिए, जिसमें ऐसा अननुपालन जारी रहा है या रहता है, ऐसे और जुर्माने से, जो दो सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।”, के स्थान पर अभिव्यक्ति, “ऐसी शास्ति, जो पांच हजार रुपये तक की हो सकेगी, और अननुपालन जारी रहने पर, नोटिस की तामील की तारीख के पश्चात् प्रत्येक दिवस के लिए, जिसमें ऐसा अननुपालन जारी रहा है या रहता है, ऐसी और शास्ति, जो दो सौ रुपये तक की हो सकेगी, का दायी होगा।” प्रतिस्थापित की जायेगी। (4) धारा 183 की उप-धारा (4) में विद्यमान अभिव्यक्ति, “दोषसिद्धि पर ऐसे जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो दो हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा”, के स्थान पर अभिव्यक्ति “ऐसी शास्ति का दायी होगा, जो दो हजार रुपये से कम की नहीं होगी किन्तु जो पांच हजार रुपये तक की हो सकेगी” प्रतिस्थापित की जायेगी। (5) धारा 189 की उप-धारा (2) में विद्यमान अभिव्यक्ति “जुर्माने से, जो एक हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा और ऐसी प्रथम दोषसिद्धि की तारीख के पश्चात् ऐसा उल्लंघन जारी रहने वाले प्रत्येक दिवस या, यथास्थिति, रात्रि के लिए, अतिरिक्त जुर्माने से, जो पचास रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो एक सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।”, के स्थान पर अभिव्यक्ति, “ऐसी शास्ति, जो एक हजार रुपये से कम की नहीं होगी किन्तु जो दो हजार रुपये तक की हो सकेगी और ऐसा उल्लंघन जारी रहने वाले प्रत्येक दिवस या, यथास्थिति, रात्रि के लिए, अतिरिक्त शास्ति, जो
--	--	--	--	---

			पचास रुपये से कम की नहीं होगी किन्तु जो एक सौ रुपये तक की हो सकेगी, का दायी होगा” प्रतिस्थापित की जायेगी। (6) धारा 194 की उप-धारा (9) के खण्ड (ख) में विद्यमान अभिव्यक्ति, “किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर, ऐसे जुर्माने से, जो तीस हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो पचास हजार रुपये तक का हो सकेगा और उल्लंघन जारी रहने के मामले में, ऐसे उल्लंघन के प्रत्येक दिवस के लिए, जब तक ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, पांच सौ रुपये से, दण्डित किया जायेगा।”, के स्थान पर अभिव्यक्ति “ऐसी शास्ति, जो तीस हजार रुपये से कम की नहीं होगी किन्तु जो पचास हजार रुपये तक की हो सकेगी और उल्लंघन जारी रहने की दशा में, ऐसे उल्लंघन के प्रत्येक दिवस के लिए, जब तक ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, पांच सौ रुपये की शास्ति का दायी होगा।” प्रतिस्थापित की जायेगी। (7) धारा 196 की उप-धारा (2) में विद्यमान अभिव्यक्ति, “ऐसे जुर्माने से दण्डनीय होगा जो पचास हजार रुपये तक का हो सकेगा।”, के स्थान पर अभिव्यक्ति, “ऐसी शास्ति का दायी होगा, जो पचास हजार रुपये तक की हो सकेगी।” प्रतिस्थापित की जायेगी। (8) धारा 197 की उप-धारा (2) में विद्यमान अभिव्यक्ति, “ऐसे जुर्माने से जो एक हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा और प्रथम दोषसिद्धि की तारीख के पश्चात् प्रत्येक दिवस या, यथास्थिति, रात्रि के लिए, जिसको ऐसा उल्लंघन जारी रहता है ऐसे और जुर्माने से, जो पचास रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो एक सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।”, के स्थान पर अभिव्यक्ति, “ऐसी शास्ति जो एक हजार रुपये से कम की नहीं होगी किन्तु जो दो हजार रुपये तक की हो सकेगी और प्रथम उल्लंघन के लिए दण्डित किये जाने की तारीख के पश्चात् प्रत्येक दिवस या, यथास्थिति, रात्रि के लिए, जिसको ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, ऐसी
--	--	--	---

			और शास्ति, जो पचास रुपये से कम की नहीं होगी किन्तु जो एक सौ रुपये तक की हो सकेगी का दायी होगा।” प्रतिस्थापित की जायेगी। (9) धारा 202 की उप-धारा (4) में विद्यमान अभिव्यक्ति, “दोषसिद्धि पर, ऐसे जुर्माने से, जो दो हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।”, के स्थान पर अभिव्यक्ति, “ऐसी शास्ति, जो दो हजार रुपये से कम की नहीं होगी किन्तु जो पांच हजार रुपये तक की हो सकेगी, का दायी होगा।” प्रतिस्थापित की जायेगी। (10) धारा 209 की उप-धारा (4) में विद्यमान अभिव्यक्ति, “दोषसिद्धि होने पर ऐसे जुर्माने से दण्डित किया जायेगा, जो दस हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो मुख्य नगरपालिक अधिकारी के आदेशों या निदेशों की अननुपालना के मामले में बीस हजार रुपये तक का हो सकेगा।”, के स्थान पर अभिव्यक्ति “ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा, जो दस हजार रुपये से कम की नहीं होगी किन्तु जो मुख्य नगरपालिक अधिकारी के आदेशों या निदेशों की अननुपालना की दशा में बीस हजार रुपये तक की हो सकेगी।” प्रतिस्थापित की जायेगी। (11) धारा 254 में, विद्यमान अभिव्यक्ति “दोषसिद्धि पर ऐसे जुर्माने का, जो एक हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा और निरंतर उसके भंग की दशा में ऐसे और जुर्माने का, जो प्रथम दोषसिद्धि की तारीख के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिवस के लिए, जिसके लिए अपराधी के लिए यह सिद्ध हो कि वह लगातार अपराध करने में संलग्न रहा है, पचास रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो एक सौ रुपये तक का हो सकेगा, दायी होगा।”, के स्थान पर अभिव्यक्ति “ऐसी शास्ति, जो एक हजार रुपये से कम की नहीं होगी किन्तु जो दो हजार रुपये तक की हो सकेगी और निरंतर उसके भंग की दशा में ऐसी और शास्ति, जो उस उल्लंघन की तारीख के पश्चात्, जिसके लिए वह दण्डित किया गया है, प्रत्येक दिवस के लिए
--	--	--	--

				पचास रुपये से कम की नहीं होगी किन्तु जो एक सौ रुपये तक की हो सकेगी, का दायी होगा।” प्रतिस्थापित की जायेगी। (12) धारा 259 में, विद्यमान अभिव्यक्ति, “जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये से कम नहीं होगा, दण्डनीय होगा।”, के स्थान पर अभिव्यक्ति, “शास्ति, जो पांच हजार रुपये से कम की नहीं होगी, का दायी होगा।” प्रतिस्थापित की जायेगी। (13) धारा 260 की उप-धारा (1) में विद्यमान अभिव्यक्ति, “ऐसे जुर्माने से, जो एक हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, तथा ऐसे और जुर्माने से, जो प्रथम दोषसिद्धि की तारीख के पश्चात् उक्त नोटिस के अनुपालन में विफलता जारी रहने के प्रत्येक दिवस के लिए पचास रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो एक सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।”, के स्थान पर अभिव्यक्ति, “ऐसी शास्ति, जो एक हजार रुपये से कम की नहीं होगी किन्तु जो दो हजार रुपये तक की हो सकेगी, तथा ऐसी और शास्ति, जो प्रथम विफलता के लिए दण्डित किये जाने की तारीख के पश्चात् उक्त नोटिस के अनुपालन में विफलता जारी रहने के प्रत्येक दिवस के लिए पचास रुपये से कम की नहीं होगी किन्तु जो एक सौ रुपये तक की हो सकेगी, का दायी होगा।” प्रतिस्थापित की जायेगी। (14) धारा 262 के खण्ड (ख) में, विद्यमान अभिव्यक्ति “ऐसे जुर्माने से, जो एक हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।”, के स्थान पर अभिव्यक्ति “ऐसी शास्ति, जो एक हजार रुपये से कम की नहीं होगी किन्तु जो दो हजार रुपये तक की हो सकेगी, का दायी होगा।” प्रतिस्थापित की जायेगी। (15) धारा 266 में, विद्यमान अभिव्यक्ति “ऐसे जुर्माने से, जो एक सौ रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।”, के स्थान पर अभिव्यक्ति “ऐसी शास्ति, जो एक सौ
--	--	--	--	--

				रुपये से कम की नहीं होगी किन्तु जो पांच सौ रुपये तक की हो सकेगी, का दायी होगा।” प्रतिस्थापित की जायेगी। (16) धारा 267 की उप-धारा (2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति, “ऐसे जुर्माने से, जो एक हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।”, के स्थान पर अभिव्यक्ति, “ऐसी शास्ति, जो एक हजार रुपये से कम की नहीं होगी किन्तु जो दो हजार रुपये तक की हो सकेगी, का दायी होगा।” प्रतिस्थापित की जायेगी। (17) धारा 268 की उप-धारा (2) में विद्यमान अभिव्यक्ति “ऐसे जुर्माने से, जो एक हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, और इसके पश्चात्तर्ती किसी दोषसिद्धि पर दो हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।”, के स्थान पर अभिव्यक्ति, “ऐसी शास्ति, जो एक हजार रुपये से कम की नहीं होगी किन्तु जो दो हजार रुपये तक की हो सकेगी, और यदि शास्ति के अधिरोपण के पश्चात् वही व्यक्ति उपर्युक्त उल्लिखित निदेशों के उल्लंघन में कोई कृत्य करता है तो, वह ऐसी शास्ति, जो दो हजार रुपये से कम की नहीं होगी किन्तु जो पांच हजार रुपये तक की हो सकेगी, का दायी होगा:” प्रतिस्थापित की जायेगी। (18) धारा 278 की उप-धारा (4) में, विद्यमान अभिव्यक्ति, “ऐसे जुर्माने से, जो एक हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा”, के स्थान पर अभिव्यक्ति, “ऐसी शास्ति, जो एक हजार रुपये से कम की नहीं होगी किन्तु जो दो हजार रुपये तक की हो सकेगी, का दायी होगा” प्रतिस्थापित की जायेगी। (19) धारा 280 की उप-धारा (5) में, विद्यमान अभिव्यक्ति “ऐसे जुर्माने से, जो एक हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।”, के स्थान पर अभिव्यक्ति,
--	--	--	--	---

				“ऐसी शास्ति, जो एक हजार रुपये से कम की नहीं होगी किन्तु जो दो हजार रुपये तक की हो सकेगी, का दायी होगा।” प्रतिस्थापित की जायेगी। (20) धारा 291 में, विद्यमान अभिव्यक्ति “दोषसिद्धि पर जुर्माने का, जो दो हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा” के स्थान पर अभिव्यक्ति, “ऐसी शास्ति जो दो हजार रुपये से कम की नहीं होगी किन्तु जो पांच हजार रुपये तक की हो सकेगी, का दायी होगा।” प्रतिस्थापित की जायेगी।
11.	201 8	24	जयपुर जलप्रदाय और मलवहन बोर्ड अधिनियम, 2018	(1) धारा 59 की उप-धारा (4) में, विद्यमान अभिव्यक्ति “दोषसिद्धि पर, सादा कारावास से जो एक मास से कम का नहीं होगा किन्तु जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या अधिकतम दस हजार रुपये तक, प्रतिदिन एक हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।” के स्थान पर अभिव्यक्ति “ऐसी शास्ति का दायी होगा, जो प्रतिदिन एक हजार रुपये से कम की या अधिकतम दस हजार रुपये से अधिक की नही होगी।” प्रतिस्थापित की जायेगी। (2) धारा 60 में, विद्यमान अभिव्यक्ति “दोषसिद्धि पर, सादा कारावास से, जो एक मास से कम का नहीं होगा किन्तु जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या अधिकतम एक हजार रुपये तक, प्रतिदिन दो सौ रुपये के जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।”, के स्थान पर अभिव्यक्ति “ऐसी शास्ति का दायी होगा, जो प्रतिदिन दो सौ रुपये से कम की नहीं होगी जो अधिकतम एक हजार रुपये तक की हो सकेगी।”, प्रतिस्थापित की जायेगी। (3) धारा 61 में, विद्यमान अभिव्यक्ति “दोषसिद्धि पर, सादा कारावास से जो एक मास से कम नहीं होगा किन्तु जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या अधिकतम दस हजार रुपये तक, प्रतिदिन एक हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।”, के स्थान पर अभिव्यक्ति “ऐसी शास्ति का दायी होगा जो प्रतिदिन एक हजार रुपये से कम की नहीं होगी जो अधिकतम दस हजार रुपये तक की हो सकेगी।”, प्रतिस्थापित की

				जायेगी। (4) धारा 62 में, विद्यमान अभिव्यक्ति “दोषसिद्धि पर, सादा कारावास से, जो एक मास से कम नहीं होगा किन्तु जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या अधिकतम दस हजार रुपये तक, प्रतिदिन एक हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।”, के स्थान पर अभिव्यक्ति “ऐसी शास्ति का दायी होगा जो प्रतिदिन एक हजार रुपये से कम की नहीं होगी जो अधिकतम दस हजार रुपये तक की हो सकेगी।”, प्रतिस्थापित की जायेगी। (5) धारा 63 में, विद्यमान अभिव्यक्ति “दोषसिद्धि पर, सादा कारावास से, जो एक मास से कम नहीं होगा किन्तु जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या अधिकतम एक हजार रुपये तक, प्रतिदिन दो सौ रुपये के जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।”, के स्थान पर अभिव्यक्ति “ऐसी शास्ति का दायी होगा जो प्रतिदिन दो सौ रुपये से कम की नहीं होगी जो अधिकतम एक हजार रुपये तक की हो सकेगी।”, प्रतिस्थापित की जायेगी। (6) धारा 64 में, विद्यमान अभिव्यक्ति “दोषसिद्धि पर, सादा कारावास से, जो एक मास से कम नहीं होगा किन्तु जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या अधिकतम एक हजार रुपये तक, प्रतिदिन दो सौ रुपये के जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।”, के स्थान पर अभिव्यक्ति “ऐसी शास्ति का दायी होगा जो प्रतिदिन दो सौ रुपये से कम की नहीं होगी, जो अधिकतम एक हजार रुपये तक की हो सकेगी।”, प्रतिस्थापित की जायेगी। (7) धारा 66 में, विद्यमान अभिव्यक्ति “दोषसिद्धि पर, सादा कारावास से, जो एक मास से कम नहीं होगा किन्तु जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या अधिकतम दस हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।”, के स्थान पर अभिव्यक्ति “ऐसी शास्ति का दायी होगा, जो अधिकतम दस हजार रुपये तक की हो सकेगी।” प्रतिस्थापित की जायेगी। (8) विद्यमान धारा 69 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:- “69. शास्ति के लिए साधारण उपबंध.- (1) जो कोई
--	--	--	--	--

				इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों और विनियमों के उपबंधों में से किसी का उल्लंघन करता है, जिसके लिए कोई विनिर्दिष्ट शास्ति उपबंधित नहीं की गयी है, वह,- (क) प्रथम उल्लंघन के लिए, ऐसी शास्ति का, जो अधिकतम पांच हजार रुपये तक की हो सकेगी; और (ख) द्वितीय या किसी पश्चात्तर्वी उल्लंघन के लिए, ऐसी शास्ति का, जो दस हजार रुपये से कम की नहीं होगी किन्तु जो एक लाख रुपये तक की हो सकेगी, के लिए दायी होगा। (2) इस धारा और धारा 59, 60, 61, 62, 63, 64 और 66 के अधीन शास्ति अधिरोपित करने की शक्ति ऐसे अधिकारी में निहित होगी, जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अभिहित करे।”।
--	--	--	--	---

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राजस्थान राज्य सरकार जीविका की सुगमता, कारबार करने की सुगमता में वृद्धि करने, और विश्वसनीयता आधारित विनिमयकारी वातावरण को प्रोन्नत करने के लिये प्रतिबद्ध है। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम विभिन्न राज्य विधियों के अधीन दण्डात्मक उपबंधों को छोटे, तकनीकी या प्रक्रियात्मक उल्लंघनों, जिनमें आपराधिक आशय या महत्वपूर्ण लोक अपहानि अंतर्वलित नहीं है, के गैर अपराधीकरण द्वारा युक्तिसंगत बनाना है।

यह पाया गया है कि अनेक विद्यमान अधिनियम छोटे उल्लंघन या तकनीकी चूक के लिए भी कारावास जैसी आपराधिक शास्तियां अधिरोपित करते हैं, जिससे अत्यधिक मुकदमेबाजी होती है, न्यायिक प्रणाली पर अत्यधिक भार पड़ता है, और व्यष्टियों, उद्यमकर्ताओं तथा कारबारों के लिए अनावश्यक कठिनाई उत्पन्न करते हैं। इसलिए, राज्य सरकार का विचार है कि विद्यमान उपबंधों के बजाय सिविल शास्तियां और प्रशासनिक मैकेनिज्म निवारक प्रयोजन की पूर्ति अधिक प्रभावपूर्ण रूप से कर सकता है।

भारत सरकार द्वारा अधिनियमित जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2023 में अभिव्यक्त सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने राज्य अधिनियमों का पुनर्विलोकन किया और पाया कि कई अधिनियमितियां संशोधित की जा सकती हैं। इस कारण से, ऐसी पुनर्विलोकित की गयी विधियों से आपराधिक उपबंधों को हटाना और उनके स्थान पर ऐसे उपबंधों को प्रतिस्थापित करना, जो सिविल प्रकृति के हैं, किन्तु अपना निवारक प्रभाव कायम रखेंगे, उचित माना गया। इस प्रकार, प्रस्तावित संशोधनों का लक्ष्य कारावास के स्थान पर धनीय शास्तियों के उपबंधों को प्रतिस्थापित करना है। ये संशोधन लोकहित की संरक्षा तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक रक्षोपायों को बनाए रखते हुए, प्रशासनिक दक्षता और विनिमयकारी स्पष्टता को प्रोन्नत और राजस्थान राज्य में शासन के प्रति अधिक सुविधाजनक दृष्टिकोण को प्रोन्नत करते हैं।

चूंकि राजस्थान विधान सभा सत्र में नहीं थी और ऐसी परिस्थितियां विद्यमान थीं जिनके कारण राजस्थान के राज्यपाल के लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया था, इसलिए, उन्होंने 11 दिसम्बर, 2025 को राजस्थान जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अध्यादेश, 2025 (2025 का अध्यादेश सं. 2) प्रख्यापित किया जो राजस्थान राजपत्र, असाधारण, भाग-IV(ख), में दिनांक 12 दिसम्बर, 2025 को प्रकाशित हुआ।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए ईप्सित है।

अतः विधेयक प्रस्तुत है।

जोगाराम पटेल,
प्रभारी मंत्री।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

इस विधेयक की अनुसूची में निम्नलिखित क्रम संख्या के सामने उल्लिखित खण्ड/उपबंध, अधिनियमित होने पर, राज्य सरकार को प्रत्येक ऐसे क्रम संख्या के सामने उल्लिखित मामलों के संबंध में नियम बनाने के लिए सशक्त करेंगे:-

क्रम सं.	खण्ड	मामले
3.	(3)	अधिरोपित करने योग्य शास्ति विहित करना;
	(4)	अधिरोपित किये जाने योग्य शमनीय रकम और शास्ति अधिरोपित करने तथा उल्लंघन के शमन की रीति विहित करना;
4.	(2)	पचास हजार रुपये तक की शास्ति अधिरोपित करने हेतु सशक्त करने के लिए प्राधिकारी विहित करना;
5.	(1)	धनीय शास्ति जो पचास हजार रुपये तक की हो सकती है, अधिरोपित करने के लिए, सक्षम प्राधिकारी प्राधिकृत करना;
7.	(1)	प्रथम उल्लंघन के लिए पच्चीस हजार रुपये तक की और द्वितीय और पश्चात्त्वर्ती उल्लंघन के लिए पचास हजार रुपये तक की शास्ति विहित करना।

प्रस्तावित प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है और मुख्यतः ब्यौरे के विषयों से संबंधित है।

जोगाराम पटेल,
प्रभारी मंत्री।

राजस्थान विधान सभा

जीविका और कारबार करने की सुगमता के लिए विश्वसनीयता आधारित शासन की और वृद्धि करने के लिए और अपराधों का गैर अपराधीकरण तथा सुव्यवस्थीकरण करने हेतु कतिपय अधिनियमितियों को संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया गया)

भारत भूषण शर्मा,
प्रमुख सचिव।

Bill No. 4 of 2026

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN JAN VISHWAS (AMENDMENT OF PROVISIONS) Bill, 2026

(As introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

*A**Bill*

to amend certain enactments for decriminalising and rationalising offences and to further enhance trust-based governance for ease of living and doing business.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-seventh Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2026.

(2) It shall be deemed to have come into force on and from 7th January, 2026.

2. Amendment of certain enactments.- The enactments mentioned in column (4) of the Schedule are hereby amended to the extent and in the manner mentioned in column (5) thereof.

3. Savings.- The amendment or repeal by this Act of any enactment shall not affect any other enactment in which the amended or repealed enactment has been applied, incorporated or referred to;

and this Act shall not affect the validity, invalidity, effect or consequences of anything already done or suffered, or any right, title, obligation or liability already acquired, accrued or incurred or any remedy or proceeding in respect thereof, or any release or discharge of, or from any debt, penalty, obligation, liability, claim or demand, or any indemnity already granted, or the proof of any past act or thing;

nor shall this Act affect any principle or rule of law, or established jurisdiction, form or course of pleading, practice or procedure, or existing usage, custom, privilege, restriction, exemption, office or appointment, notwithstanding that the same respectively may have been in any manner affirmed, or recognized or derived by, in or from any enactment hereby amended or repealed;

nor shall the amendment or repeal by this Act of any enactment revive or restore any jurisdiction, office, custom, liability, right, title, privilege, restriction, exemption, usage, practice, procedure or other matter or thing not now existing or in force.

4. Repeal and savings.- (1) The Rajasthan Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Ordinance, 2025 (Ordinance No. 2 of 2025) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, all things done, actions taken or orders made under the said Ordinance shall be deemed to have been done, taken or made under this Act.

THE SCHEDULE

(See section 2)

S.N. (1)	Year (2)	Act No. (3)	Short Title (4)	Amendments (5)
1.	1953	13	The Rajasthan Forest Act, 1953	(1) In clause (3) of section 2, after the existing expression “an offence punishable” and before the existing expression “under this Act”, the expression “or liable to a penalty” shall be inserted. (2) In section 26,- (i) the existing clauses (a) and (b) of sub-section (1) shall be deleted; (ii) after the existing sub-section (1-A), the following new sub-section shall be inserted, namely:- “(1-B) Any person who in a reserved forest,- (a) trespasses or pastures cattle, or permits cattle to trespass shall be liable to penalty which may extend to five hundred rupees, in addition to such compensation for damage done to the forest as determined by a Forest-Officer empowered under section 68; (b) causes any damage by negligence in felling any tree or cutting or dragging any timber shall be liable to penalty which may extend to five thousand rupees, in addition to such compensation for damage done to the forest as determined by a Forest-Officer empowered under section 68.”. (3) In section 33,- (i) the existing clauses (b) and

				(c) of sub-section (1) shall be deleted; (ii) the existing clause (d) of sub-section (1-A) shall be deleted; (iii) after the existing sub-section (1-A), the following new sub-section shall be inserted, namely:- “(1-B) Any person who in a protected forest,- (a) leaves burning any fire kindled by him in the vicinity of any tree reserved under section 30, whether standing, fallen or felled, or closed portion of any protected forest, shall be liable to penalty which may extend to twenty-five thousand rupees, in addition to such compensation for damage done to the forest as determined by a Forest-Officer empowered under section 68; (b) fells any tree or drags any timber so as to damage any tree reserved as aforesaid, shall be liable to penalty which may extend to five thousand rupees, in addition to such compensation for damage done to the forest as determined by a Forest-Officer empowered under section 68.”. (4) In proviso to sub-section (2) of section 52, for the existing punctuation mark “.” appearing at the end, the punctuation mark “:” shall be substituted and after sub-section (2) so amended, the following new proviso
--	--	--	--	---

				shall be added, namely:- “Provided further that the forest offence in respect of which the seizure has been made under sub-section (1) may be compounded under section 68 of the Act, if it is established on record that person(s) committing the offence and the machinery, arms, tools, boats, cattle, vehicle, ropes, chains or any other article seized under sub-section (1) and the person who may have some interest in such property seized have not been involved in the commission of any forest offence under the Act prior to this offence.”. (5) In section 68,- (i) the existing heading shall be substituted by the following heading, namely:- “68. Power to compound offences and impose penalties.-”; (ii) for the existing word “and” occurring in clause (a) of sub-section (1), the word “or” shall be substituted; (iii) after the clause (a) of sub-section (1) so amended, the following new clause shall be inserted, namely:- “(aa) to accept from any person a sum of money by way of penalty or compensation for violation of sub-section (1-B) of section 26 or sub-section (1-B) of section 33, and”. (6) The existing section 87 shall be deleted.
2.	1955	3	The Rajasthan Tenancy Act, 1955	For the existing section 86, the following shall be substituted, namely:- “86. Penalties of unlawful

				removal.- Whoever contravenes all or any of the provisions of section 83 or section 84 or any of the terms, conditions or restrictions of a licence granted thereunder shall be liable to a penalty which may be imposed by an Assistant Collector on an application or a report made to him- (a) in the case of a first contravention: (i) where a tree has been removed, to a penalty which may extend to one thousand rupees for each tree that has been removed; and (ii) in other case, to a penalty which may extend to one thousand rupees; and (b) in the case of a second or subsequent contravention, to a penalty which may extend to double the amount of penalty that can be imposed under clause (a), and any tree or timber thereof in respect of which such contravention shall have been committed may be forfeited to the State Government.”.
3.	1956	26	The Rajasthan Regulation of Boating Act, 1956	(1) In section 10, for the existing expression “if the licensee has been guilty of”, the expression “if it is found that the licensee has ever been penalised under section 14 for” shall be substituted. (2) In clause (f) of sub-section (1) of section 12, for the existing punctuation mark “.” appearing at the end, the words “; or” shall be substituted and after clause (f) so amended, the following new clause shall be inserted, namely:- “(g) imposition of any penalty under section 14 or

				compounding of contravention under section 14A.”. (3) For the existing section 14, the following shall be substituted, namely:- “14. Penalty.- (1) Whoever commits or abets, or attempts to commit a contravention of any of the provisions of this Act, or charges any fares contrary to the provisions of any notification issued under section 13 for the time being in force, shall be liable to pay a penalty which may extend to fifty thousand rupees, as may be imposed by the authority prescribed in the rules. (2) The penalty imposed under sub-section (1) shall be recoverable as arrears of land revenue.”. (4) After section 14 so amended, the following new section shall be inserted, namely:- “14A. Compounding of contraventions.- (1) The authority may either before or after the institution of proceedings, compound any contravention under this section on payment of such sum, not exceeding the maximum amount of penalty imposable, as may be prescribed. (2) The manner of imposing penalty and compounding of contravention shall be such as may be prescribed.”. (5) In sub-section (2) of section 16,- (i) in clause (b), the existing word “and” appearing at the end, shall be deleted;
--	--	--	--	--

				(ii) in clause (c), for the existing punctuation mark “.” appearing at the end, the punctuation mark “;” shall be substituted and after clause (c) so amended, the following new clauses shall be inserted, namely:- “(d) the authority competent to impose administrative penalties or to compound contraventions; (e) the procedure for compounding and the amount payable; and (f) the classification of contraventions and the scale of penalties applicable thereto.”.
4.	1958	48	The Rajasthan Warehouses Act, 1958	(1) In sub-section (1) of section 29, after the existing expression “any orders passed under section 17” and before the existing expression “shall be made to such authority”, the expression “or any order passed under section 32 imposing penalty” shall be inserted. (2) For the existing section 32, the following shall be substituted, namely:- “32. Penalty and procedure.- (1) Whoever- (a) acts, or holds himself out, as a licensed warehouseman without having obtained a licence under this Act; or (b) knowingly contravenes or fails to comply with any of the provisions or requirements of this Act or the rules made thereunder, shall be liable to a penalty which may extend to fifty thousand rupees, as may be imposed by the prescribed authority after giving a reasonable opportunity of being

				heard. (2) Where a contravention under sub-section (1) is committed by a company or an association or a body of persons, whether incorporated or not, the person responsible for the conduct of its business shall be deemed to be liable to the penalty unless such person proves that the such contravention was committed without his knowledge or despite due diligence.”.
5.	1961	25	The Rajasthan State Aid to Industries Act, 1961	(1) In section 6, the existing sub-section (4), shall be substituted by the following, namely:- “(4) If any person- (a) fails, without sufficient cause, to comply with an order issued under sub-section (1); or (b) knowingly discloses or allows to be disclosed any information in contravention of sub-section (3), he shall be liable to a monetary penalty which may extend to fifty thousand rupees, as may be imposed by the competent authority authorised by the State Government: Provided that no such penalty shall be imposed without giving the person concerned a reasonable opportunity of being heard.”. (2) After the existing section 8, the following new section 9 shall be added, namely:- “9. Act to be in addition to any other law.- The provisions of this Act shall be in addition to, and not in derogation of, the provisions of

				any other law for the time being in force.”.
6.	1962	12	The Rajasthan Electricity (Duty) Act, 1962	(1) In section 9,- (i) in sub-section (1), for the existing expression “,on conviction before a Magistrate, to a fine not exceeding two hundred rupees:”, the expression “to a penalty not exceeding five hundred rupees.” shall be substituted; (ii) in sub-section (1), the existing proviso shall be deleted; (iii) in sub-section (2), for the existing expression “, on conviction before a Magistrate, to a fine not exceeding Rs. 1000/-.”, the expression “to a penalty not exceeding two thousand rupees.” shall be substituted; (iv) in sub-section (2), the existing proviso shall be deleted; (v) after the existing sub-section (2) so amended, the following new sub-sections shall be added, namely:- “(3) Where any contravention as specified in sub-section (1) and (2) is committed by a company, every officer who at the time of commission of such contravention was in charge of and was responsible to the company for the conduct of the business of the company, as well as the company shall be deemed to be responsible for commission of such contravention and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly: Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person

				liable to any punishment provided in this Act if he proves that the contravention was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence. (4) Notwithstanding anything contained in sub-section (3), where any contravention specified in sub-section (1) and (2) has been committed by a company and it is proved that the contravention has been committed with the consent or connivance of or is attributable to any neglect on the part of any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be responsible of that contravention and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly. Explanation.- For the purpose of sub-sections (3) and (4),- (a) “company” means a body corporate and includes a firm or other association of individuals; and (b) “director” in relation to a firm means a partner in the firm. (5) Penalty under this section may be imposed by the Commissioner or any officer authorised in this behalf by the State Government. (6) No penalty under this section shall be imposed unless a reasonable opportunity of being heard is afforded to the person concerned.”. (2) The existing section 9A shall be deleted.
7.	1964	1	The Rajasthan	(1) For the existing section 40, the

			Money Lenders Act, 1963	following shall be substituted, namely:- “40. Penalty for contravention of section 5, sub-sections (1), (2), (3) of section 22, sections 23, 30 and 37.- Whoever fails to comply with, or acts in contravention of, any provision contained in section 5, sub-sections (1), (2), (3) of section 22, sections 23, 30 and 37 shall be liable- (a) for the first contravention, to a penalty which may extend to twenty-five thousand rupees, subject to rules as may be prescribed, (b) for the second or subsequent contravention, to a penalty which may extend to fifty thousand rupees, subject to rules as may be prescribed.”. (2) The existing section 42 shall be substituted by the following, namely:- “42. Cognizance of certain offence.-No court shall take cognizance of an offence under this Act except on a complaint made by the Registrar.”. (3) In section 43,- (i) in the existing second column of the table of sub-section (1), the figure “40” wherever occurred, shall be deleted; (ii) the existing sub-section (2) shall be substituted by the following, namely:- “(2) The Registrar may, either before or after the institution of proceedings for the offence punishable under sub-section (4) or sub-section (5) of section
--	--	--	-------------------------	--

				22, section 29, section 38 and section 39, accept amount from any person charged with such offence by way of composition of the offence committed.”.
8.	1992	19	The Rajasthan Non-Government Educational Institutions Act, 1989	The existing section 34, shall be substituted by the following, namely:- “34. Penalty for failure to discharge duties of Secretary.- (1)Where any person fails to comply with the provisions of sub-section (3) of section 9 or section 12 or, where such failure is committed by an association, every member of the managing committee responsible for such failure, shall be liable to pay an administrative penalty which may extend to two lakh rupees: Provided that such member of the managing committee, who has not participated in it or, who has not agreed upon such decision, shall not be liable to any penalty under this section. (2) The penalties under this section shall be imposed by the Competent Authority after giving the person or association a reasonable opportunity of being heard.”.
9.	1998	14	The Rajasthan Stamp Act, 1998	(1) The existing title of CHAPTER VII “Criminal Offences and Procedure”, shall be substituted by the following, namely:- “Penalty, Criminal Offences and Procedure”. (2) In section 73,- (i) in sub-section (1), for the existing expression “shall for every such offence be punishable with fine which

				may extend to five thousand rupees”, the expression “shall for every such violation be liable for penalty which may extend to five thousand rupees” shall be substituted; (ii) in sub-section (2), for the existing expression “shall be punishable with fine which may extend to five thousand rupees.”, the expression “shall be liable for penalty which may extend to five thousand rupees.” shall be substituted. (3) In section 74, for the existing expression “shall be punished with fine which may extend to one thousand rupees.”, the expression “shall be liable for penalty which may extend to one thousand rupees.” shall be substituted. (4) In section 78, for the existing expression “shall be punishable with fine which may extend to two thousand rupees.”, the expression “shall be liable for penalty which may extend to two thousand rupees.” shall be substituted. (5) In section 79, for the existing expression “shall be punishable with fine which may extend to one thousand rupees”, the expression “shall be liable for penalty which may extend to one thousand rupees” shall be substituted. (6) The existing section 81 shall be substituted by the following, namely:- “81. Penalty for breach of provisions of section 85.- Any person who commits a breach of the provisions of section 85 shall be liable for penalty as under,-
--	--	--	--	--

				(i) for a first breach with penalty which may extend to five hundred rupees; (ii) for a second breach with penalty which may extend to one thousand rupees, but which shall not be less than two hundred rupees; and (iii) for a third and subsequent breach with penalty which may extend to two thousand rupees.”. (7) In section 82, for the existing expression “shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to five thousand rupees, or with both.”, the expression “shall be liable for penalty which may extend to five thousand rupees.” shall be substituted. (8) In section 83,- (i) the existing heading “83. Institution and conduct of prosecutions.-” shall be substituted by the following, namely:- “83. Imposition of Penalty, Institution and conduct of prosecutions.-”; (ii) after the existing sub-section (3), the following new sub-section (4) shall be added, namely:- “(4) No penalty under Chapter VII shall be imposed by an officer not below the rank of
--	--	--	--	--

				Collector.”. (9) In sub-section (1) of section 87, for the existing expression “the fines, which shall in no case exceed five thousand rupees,” the expression “the fines or penalties which shall in no case exceed five thousand rupees except as otherwise provided in the Act,” shall be substituted.
10.	2009	18	The Rajasthan Municipalities Act, 2009	(1) In sub-section (2) of section 126, for the existing expression “upon conviction to a fine, which may extend to one thousand rupees.”, the expression “to a penalty which may extend to one thousand rupees.” shall be substituted. (2) In section 169,- (i) in sub-section (2), for the existing expression “, on conviction, be punished with fine which may extend to five thousand rupees, and when the non-compliance is a continuing one, with a further fine which may extend to five hundred rupees for every day after the date of the service of the notice during which the non-compliance has continued or continues.”, the expression “be liable to a penalty which may extend to five thousand rupees, and when the non-compliance is a continuing one, with a further penalty which may extend to five hundred rupees for every day after the date of the service of the notice during which the non-compliance has continued or continues.” shall be substituted; (ii) in sub-section (4), for the

				existing expression “, on conviction, be punishable with fine which may extend to five thousand rupees and in case of continuing offence, with a further fine which may extend to two hundred rupees for every day during which such offence continues after the conviction for the first commission of the offence.”, the expression “be liable to a penalty which may extend to five thousand rupees and in case such act continues, with a further penalty which may extend to two hundred rupees for every day during which such act continues.” shall be substituted. (3) In sub-section (5) of section 171, for the existing expression “, on conviction, be punished with fine which may extend to five thousand rupees, and when the non-compliance is a continuing one, with a further fine which may extend to two hundred rupees for every day after the date of the service of the notice during which the non-compliance has continued or continues.”, the expression “be liable to a penalty which may extend to five thousand rupees, and when the non-compliance is a continuing one, with a further penalty which may extend to two hundred rupees for every day after the date of the service of the notice during which the non-compliance has continued or continues.” shall be substituted. (4) In sub-section (4) of section
--	--	--	--	---

				183, for the existing expression “punishable on conviction with fine which shall not be less than two thousand rupees but which may extend to five thousand rupees”, the expression “liable to a penalty which shall not be less than two thousand rupees but which may extend to five thousand rupees” shall be substituted. (5) In sub-section (2) of section 189, for the existing expression “punished with fine which shall not be less than one thousand rupees but which may extend to two thousand rupees and with a further fine which shall not be less than fifty rupees but which may extend to one hundred rupees for every day or, night, as the case may be, on which such contravention continues after the date of the first conviction.”, the expression “liable to a penalty which shall not be less than one thousand rupees but which may extend to two thousand rupees and with a further penalty which shall not be less than fifty rupees but which may extend to one hundred rupees for every day or, night, as the case may be, on which such contravention continues.” shall be substituted. (6) In clause (b) of sub-section (9) of section 194, for the existing expression “, on conviction by a competent Court, be punished with fine which shall not be less than thirty thousand rupees but which may extend to fifty thousand rupees and in case of a continuing contravention, with fine of five hundred rupees for each day of
--	--	--	--	--

				contravention, till such contravention continues.”, the expression “be liable to a penalty which shall not be less than thirty thousand rupees but which may extend to fifty thousand rupees and in case of a continuing contravention, with penalty of five hundred rupees for each day of contravention, till such contravention continues.” shall be substituted. (7) In sub-section (2) of section 196, for the existing expression “punishable with fine which may extend to fifty thousand rupees.”, the expression “liable to a penalty which may extend to fifty thousand rupees.” shall be substituted. (8) In sub-section (2) of section 197, for the existing expression “punished with fine which shall not be less than one thousand rupees but which may extend to two thousand rupees and with further fine which shall not be less than fifty rupees but which may extend to one hundred rupees for every day or night, as the case may be, on which such contravention continues after the date of the first conviction.”, the expression “liable to a penalty which shall not be less than one thousand rupees but which may extend to two thousand rupees and with further penalty which shall not be less than fifty rupees but which may extend to one hundred rupees for every day or night, as the case may be, on which such contravention continues after the date of the first contravention penalised.” shall be substituted. (9) In sub-section (4) of section 202, for the existing expression “, on
--	--	--	--	---

				conviction, be punished with a fine which shall not be less than two thousand rupees but which may extend to five thousand rupees.”, the expression “be liable to a penalty which shall not be less than two thousand rupees but which may extend to five thousand rupees.” shall be substituted. (10) In sub-section (4) of section 209, for the existing expression “punished, on conviction, with fine which shall not be less than ten thousand rupees but which may extend to twenty thousand rupees in case of non-compliance of the orders or directions of the Chief Municipal Officer.”, the expression “liable to a penalty which shall not be less than ten thousand rupees but which may extend to twenty thousand rupees in case of non-compliance of the orders or directions of the Chief Municipal Officer.” shall be substituted. (11) In section 254, for the existing expression “on conviction to fine which shall not be less than one thousand rupees but which may extend to two thousand rupees and in the case of a continuing breach to a further fine which shall not be less than fifty rupees but which may extend to one hundred rupees for every day after the date of the first conviction during which the offender is proved to have persisted in the commission of the offence.”, the expression “to a penalty which shall not be less than one thousand rupees but which may extend to two thousand rupees and in the case of a continuing breach to a further
--	--	--	--	---

				penalty which shall not be less than fifty rupees but which may extend to one hundred rupees for every day after the date of the contravention for which he has been penalised.” shall be substituted. (12) In section 259, for the existing expression “punishable with fine which shall not be less than five thousand.”, the expression “liable to a penalty which shall not be less than five thousand rupees.” shall be substituted. (13) In sub-section (1) of section 260, for the existing expression “punished with fine which shall not be less than one thousand rupees but which may extend to two thousand rupees and with further fine which shall not be less than fifty rupees but which may extend to one hundred rupees for every day on which the failure to comply with the said notice is continued after the date of the first conviction.”, the expression “liable to a penalty which shall not be less than one thousand rupees but which may extend to two thousand rupees and with further penalty which shall not be less than fifty rupees but which may extend to one hundred rupees for every day on which the failure to comply with the said notice is continued after the date of first failure penalised.” shall be substituted. (14) In clause (b) of section 262, for the existing expression “punished with fine which shall not be less than one thousand rupees but which may extend to two thousand rupees.”, the
--	--	--	--	---

				expression “liable to a penalty which shall not be less than one thousand rupees but which may extend to two thousand rupees.”, shall be substituted. (15) In section 266, for the existing expression “punishable with fine which shall not be less than one hundred rupees but which may extend to five hundred rupees.”, the expression “liable to a penalty which shall not be less than one hundred rupees but which may extend to five hundred rupees.” shall be substituted. (16) In sub-section (2) of section 267, for the existing expression “punishable with fine which shall not be less than one thousand rupees but which may extend to two thousand rupees.”, the expression “liable to a penalty which shall not be less than one thousand rupees but which may extend to two thousand rupees.” shall be substituted. (17) In sub-section (2) of section 268, for the existing expression “punished with fine which shall not be less than one thousand rupees but which may extend to two thousand rupees, and upon any subsequent conviction, which shall not be less than two thousand rupees but which may extend to five thousand rupees:”, the expression “liable to a penalty which shall not be less than one thousand rupees but which may extend to two thousand rupees, and if after the imposition of the penalty the same person does any act in contravention
--	--	--	--	--

				of aforementioned directions, he shall be liable to a penalty which shall not be less than two thousand rupees but which may extend to five thousand rupees:" shall be substituted. (18) In sub-section (4) of section 278, for the existing expression "punishable with fine which shall not be less than one thousand rupees but which may extend to two thousand rupees", the expression "liable to a penalty which shall not be less than one thousand rupees but which may extend to two thousand rupees" shall be substituted. (19) In sub-section (5) of section 280, for the existing expression "punishable with fine which shall not be less than one thousand rupees but which may extend to two thousand rupees.", the expression "liable to a penalty which shall not be less than one thousand rupees but which may extend to two thousand rupees." shall be substituted. (20) In section 291, for the existing expression "on conviction to fine which shall not be less than two thousand rupees but which may extend to five thousand rupees.", the expression "to a penalty which shall not be less than two thousand rupees but which may extend to five thousand rupees." shall be substituted.
11.	2018	24	The Jaipur Water Supply and Sewerage Board Act, 2018	(1) In sub-section (4) of section 59, for the existing expression "on conviction be punished with, simple imprisonment which shall not be less

				than one month but which may extend to one year or a daily fine of rupees one thousand per day or maximum of rupees ten thousand.”, the expression “be liable to a penalty which shall not be less than rupees one thousand per day or maximum of rupees ten thousand.” shall be substituted. (2) In section 60, for the existing expression “on conviction be punished with simple imprisonment which shall not be less than one month but which may extend to one year or with a daily fine of rupees two hundred per day upto a maximum of rupees one thousand.”, the expression “be liable to a penalty which shall not be less than rupees two hundred per day upto a maximum of rupees one thousand.”, shall be substituted. (3) In section 61, for the existing expression “on conviction, be punished with simple imprisonment which shall not be less than one month but which may extend to one year or with a daily fine of rupees one thousand per day upto a maximum of rupees ten thousand.”, the expression “be liable to a penalty which shall not be less than rupees one thousand per day upto a maximum of rupees ten thousand.” shall be substituted. (4) In section 62, for the existing expression “on conviction be punished with, simple imprisonment which shall not be less than one month but which may extend to one year or with a daily fine of rupees one thousand per day upto a maximum of rupees ten thousand.”, the expression “be liable to a penalty which shall not be less than rupees one thousand per day upto a
--	--	--	--	---

				maximum of rupees ten thousand.” shall be substituted. (5) In section 63, for the existing expression “on conviction be punished with, simple imprisonment which shall not be less than one month but which may extend to one year or with a daily fine of rupees two hundred per day upto a maximum of rupees one thousand.”, the expression “be liable to a penalty which shall not be less than rupees two hundred per day upto a maximum of rupees one thousand.” shall be substituted. (6) In section 64, for the existing expression “on conviction be punished with simple imprisonment which shall not be less than one month but which may extend to one year or with a daily fine of rupees two hundred per day upto a maximum of rupees one thousand.”, the expression “be liable to a penalty which shall not be less than rupees two hundred per day upto a maximum of rupees one thousand.” shall be substituted. (7) In section 66, for the existing expression “on conviction be punished with simple imprisonment which shall not be less than one month but which may extend to one year or upto a maximum fine of rupees ten thousand.”, the expression “be liable to a penalty which may extend upto a maximum of rupees ten thousand.” shall be substituted. (8) For the existing section 69, the following shall be substituted, namely:- “69. General provision for penalty.— (1) Whoever contravenes any of the provisions of this Act or the rules and regulations made thereunder, for which no specific penalty is provided for, shall be liable, -
--	--	--	--	---

				(a) for the first contravention, for a penalty which may extend upto a maximum of five thousand rupees; and (b) for a second or any subsequent contravention, for a penalty which shall not be less than ten thousand rupees but which may extend upto one lakh rupees. (2) The power to impose penalties under this section and under sections 59, 60, 61, 62, 63, 64 and 66 shall vest in such officer as may be designated by the State Government, by notification in the Official Gazette.”.
--	--	--	--	--

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The State Government of Rajasthan is committed to enhancing ease of living, ease of doing business, and promoting a trust-based regulatory environment. A key step in this direction is to rationalize penal provisions under various State laws by decriminalizing minor, technical, or procedural contraventions which do not involve criminal intent or significant public harm.

It is found that many existing Acts impose criminal penalties such as imprisonment even for minor contravention or technical lapse, leading to excessive litigation, overburdening of the judicial system, and creating unnecessary hardship for individuals, entrepreneurs, and businesses. Therefore, the State Government considers that civil penalties and administrative mechanisms can serve the purpose of deterrence more effectively rather than existing provisions.

Taking into account the principle expressed in the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2023 enacted by Government of India, the State Government did review the State Acts and found that several enactments may be amended. For this reason, it was considered appropriate to remove the criminal provisions from such did review laws, and to replace them with provisions that are civil in nature but will retain their deterrent effect. Thus proposed amendments aim to substitute provisions of imprisonment with monetary penalties. These amendments promote administrative efficiency and regulatory clarity, while maintaining necessary safeguards to protect public interest and ensure accountability and promote a more facilitative approach to governance in the State of Rajasthan.

Since the Rajasthan Legislative Assembly was not in session and the circumstances existed which rendered it necessary for the Governor of Rajasthan to take immediate action, he, therefore promulgated the Rajasthan Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Ordinance, 2025 (Ordinance No. 2 of 2025) on 11th December, 2025 which was published in the Rajasthan Gazette, Extraordinary, Part- IV (B), dated 12th December, 2025.

The Bill seeks to replace the aforesaid Ordinance.

Hence the Bill.

जोगाराम पटेल,
Minister Incharge.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

The clause/provision appearing against the following serial number in the Schedule of this Bill shall, upon enactment, empower the State Government to make rules with respect to matters noted against each such Serial number:-

Serial No.	Clause	Matters
3.	(3)	prescribing the penalty imposable;
	(4)	prescribing the composition amount imposable and the manner of imposing penalty and compounding of contravention;
4.	(2)	prescribing the authority empowering to impose penalty upto fifty thousand rupees;
5.	(1)	authorising the competent authority to impose monetary penalty which may extend to fifty thousand rupees;
7.	(1)	prescribing the penalty upto twenty five thousand rupees for the first contravention and upto fifty thousand rupees for the second or subsequent contravention;

The proposed delegation is of normal character and mainly relates to the matters of detail.

जोगाराम पटेल,
Minister Incharge.

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

to amend certain enactments for decriminalising and rationalising offences and to further enhance trust-based governance for ease of living and doing business.

(As introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

**BHARAT BHUSHAN SHARMA,
Principal Secretary.**

Government Central Press, Jaipur.